

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2756(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं.का.आ. 888 (अ), दिनांक 17 सितम्बर, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए कार्यों अथवा न किए गए कार्यों को छोड़कर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा यह निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी, जिनके मुख्यालय नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (3) में तद्नुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों पर हैं, ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों या ऐसी आय या आय के वर्गों या ऐसे मामलों या

मामलों के वर्गों, जिनके सम्बंध में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारियों को क्षेत्राधिकार सौंपा गया है, के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निष्पादन करेंगे।

अनुसूची

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रधान आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान), दिल्ली	दिल्ली	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान), (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई (ii) मुख्य आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान), (दक्षिणी क्षेत्र) बंगलूरु (iii) आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान)-I, दिल्ली (iv) आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान)-II, दिल्ली (v) आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान)-III, दिल्ली (vi) आयकर आयुक्त, (अन्तराण मूल्यांकन)-I, दिल्ली (vii) आयकर आयुक्त, (अन्तराण मूल्यांकन)-II, दिल्ली (viii) आयकर आयुक्त, (अन्तराण मूल्यांकन)-III, दिल्ली (ix) आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतराण मूल्यांकन), कोलकाता
2.	मुख्य आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान), (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई।	मुम्बई	(i) आयकर आयुक्त, (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-I, मुम्बई (ii) आयकर आयुक्त, (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-II, मुम्बई (iii) आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान) -III, मुम्बई (iv) आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान)- iv, मुम्बई (v) आयकर आयुक्त (अंतराण मूल्यांकन)- I, मुम्बई (vi) आयकर आयुक्त (अंतराण मूल्यांकन)- II, मुम्बई (vii) आयकर आयुक्त (अंतराण मूल्यांकन)-III, मुम्बई (viii) आयकर आयुक्त (अंतराण मूल्यांकन)- iv, मुम्बई (ix) आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतराण मूल्यांकन), अहमदाबाद (x) आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतराण मूल्यांकन), पुणे
3.	मुख्य आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान), (दक्षिणी क्षेत्र), बंगलौर।	बंगलौर	(i) आयकर आयुक्त, (अंतरराष्ट्रीय कराधान), बंगलौर (ii) मुख्य आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान), चेन्नई (iii) आयकर आयुक्त (अंतराण मूल्यांकन)-I, बंगलौर (iv) आयकर आयुक्त (अंतराण मूल्यांकन)-II, बंगलौर (v) आयकर आयुक्त (अंतराण मूल्यांकन), चेन्नई (vi) आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतराण मूल्यांकन), हैदराबाद

यह अधिसूचना 15-11-2014 से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 54/2014/फा.सं. 187/35 /2014(आईटीए-1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक